

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सं. 18/2019-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 721(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 189 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2क	2202 10 10	वातित जल”.
-----	------------	------------

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/131/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: -प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 07 मार्च, 2019 को सा.का.नि. 189 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2019-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 268 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

No. 18/2019-Central Tax (Rate)

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.02/2019-Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 189(E), dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Annexure, after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

“2A.	2202 10 10	Aerated Water”.
------	------------	-----------------

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

[F.No. 354/131/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2019-Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 189(E), dated the 7th March, 2019 and last amended by Notification No. 9/2019-Central Tax(Rate) dated 29th March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 29th March, 2019.